मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)

(म.प्र. सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अधीन पंजीकृत संस्था : पंजीयन क्रमांक 8746/2000)

खण्ड–2, पंचम तल, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स भोपाल

क्र 23138/ 22/वि–12/टी–1/554/Circular/2015 भोपाल, दिनांक 18 /12/2015

प्रति,

महाप्रबंधक (समस्त)
परियोजना क्रियान्वयन इकाई–..................................
जिला– .... (म.प्र.)

विषय– WBM के स्थान पर WMM से कार्य करने के संबंध में।
संदर्भ– इस कार्यालय क पत्र क्र 22455 दिनांक 17.11.2014 (प्रति संलग्न)

---0---

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा पैकेज की स्वीकृत लागत के अन्दर WBM के स्थान पर WMM से कार्य WBM की दर से करने हेतु निर्धारित शर्तो पर मुख्य महाप्रबंधक के अनुमोदन उपरान्त कार्य कराने हेतु निर्देशित किया गया था। किन्तु संज्ञान में आया है कि WMM से कार्य कराने में दिये गये निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि WMM से कार्य कराने हेतु निम्नानुसार शर्तो का कड़ाई से पालन करते हुए कार्य कराया जावे।

1 WMM के कार्य के क्रियान्वयन समय WMM के ऊपर से यातायात प्रवाह की अनुमति नही होगी एवं मार्ग का Divertion ठेकेदार अपने व्यय से करेगा। महाप्रबंधक फोटो सहित इसका प्रमाणीकरण करेगें।
2 WMM का कार्य WMM Plant एवं Paver से किया गया जावेगा। महाप्रबंधक इसका प्रमाणीकरण करेगें कि प्लान्ट और पेवर से कार्य किया गया है।
3 WMM के कार्य की गुणवत्ता एवं उसके ग्रेडिंग मापदण्डानुसार कराने की पूर्ण जिम्मेदारी महाप्रबंधक की होगी।
4 WMM के कार्य का भुगतान WBM की अनुबंधित दर या WMM की दर जो भी कम हो से ही किया जावेगा।
5 WMM के लिये निर्धारित गुणवत्ता परीक्षण किये जावेगें।
6 यही भी सुनिश्चित करेगें कि सामग्री मिक्सिंग और लेइंग से 24 घंटे से ज्यादा अन्तराल न हो।

(अलका उपाध्याय)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क,विकास प्राधिकरण,
भोपाल

पृ. क्र23139 / 22/वि–12/टी–1/554/Circular/2015 भोपाल, दिनांक 18/12/2015
प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख अभियंता, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्रधिकरण, की ओर सूचनार्थ।
2. मुख्य महाप्रबंधक, **(समस्त)** मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्रधिकरण, की ओर सूचनार्थ।
3. महाप्रबंधक, **(समस्त)** मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्रधिकरण, की ओर सूचनार्थ।
4. गार्ड नस्ती, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्रधिकरण, की ओर सूचनार्थ।
5. प्रबंधक (आई.टी.), मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्रधिकरण, मुख्यालय भोपाल को निर्देशित किया जाता है कि यह पत्र MPRRDA की Website के Circular Section में upload करें।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क,विकास प्राधिकरण,
भोपाल

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)
(म.प्र. सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अधीन पंजीकृत संस्था : पंजीयन क्रमांक 8746/2000)
खण्ड–2, पंचम तल, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स भोपाल

क्र 22455 / 22/वि–12/टी–1/Circular/2014 भोपाल, दिनांक 17/11/2014

प्रति,

महाप्रबंधक (समस्त)
परियोजना क्रियान्वयन इकाई–.................................
जिला– .... (म.प्र.)

विषय– विचलन संबंधी अधिकारियों का पुनरीक्षण बावत्।
संदर्भ– इस कार्यालय क पत्र क्र 18044 दिनांक 16.12.2011

---0---

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र (Para-V) द्वारा WBM का कार्य पैकेज की स्वीकृत लागत के अन्दर WBM के स्थान पर WBM से कार्य WBM की दर से करने हेतु महाप्रबंधकों को अधिकृत किया गया था। उक्त अधिकार के प्रत्यायोजन को अधिक्रमित करते हुए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यो में WBM का कार्य WMM से करने की स्वीकृति का अधिकार संबंधित मुख्य महाप्रबंधकों को निम्न शर्तो के अधीन प्रत्योजित किया जाता है।

1. WMM के कार्य के क्रियान्वयन समय WMM के ऊपर से यातायात प्रवाह की अनुमति नही होगी एवं मार्ग का Divertion ठेकेदार अपने व्यय से करेगा। महाप्रबंधक प्रकरण भेजते समय इसका प्रमाणीकरण करेगें।
2. WMM का कार्य WMM Plant एवं Paver से किया गया जावेगा। महाप्रबंधक प्रकरण भेजते समय इसका प्रमाणीकरण करेगें कि ठेकेदार के पास प्लान्ट और पेवर उपलब्ध है।
3. WMM के कार्य की गुणवत्ता एवं उसके ग्रेडिंग मापदण्डानुसार कराने की पूर्ण जिम्मेदारी महाप्रबंधक की होगी।
4. WMM के कार्य का भुगतान WBM की अनुबंधित दर से ही किया जावेगा।

(अलका उपाध्याय)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क,विकास प्राधिकरण,
भोपाल

पृ. क्र. 22456 / 22/वि–12/टी–1/Circular/2014 भोपाल, दिनांक 17/11/2014
प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख अभियंता, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्रधिकरण, की ओर सूचनार्थ।
2. मुख्य महाप्रबंधक, **(समस्त)** मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्रधिकरण, की ओर सूचनार्थ।
3. महाप्रबंधक, **(समस्त)** मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्रधिकरण, की ओर सूचनार्थ।
4. गार्ड नस्ती, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्रधिकरण, की ओर सूचनार्थ।
5. प्रबंधक (आई.टी.), मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्रधिकरण, मुख्यालय भोपाल को निर्देशित किया जाता है कि यह पत्र MPRRDA की Website के Circular Section में upload करें।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क,विकास प्राधिकरण,
भोपाल